

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

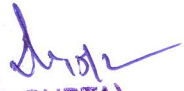
F 14 (Road) 2017/FCA/PCCF/ CCFEDS -I Jaipur dated 15-2-2018

Assistant Engineer, PWD Salumber के द्वारा उदयपुर जिले /वन मंडल उदयपुर (दक्षिण) के ग्राम मानपुर में BT ROAD FROM NAL TO DUNGRA UNDER PMGSY के निर्माण कार्य हेतु 1.63 है0 वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/20390/2016 पर दिनांक 07.07.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:-

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या B-2.1 में यूजर ऐजेन्सी के स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रकरणों की अद्यतन सूची संलग्न नहीं की गई है।
2. प्रस्ताव में प्रस्तुत प्रस्तावित सड़क में वन सीमा का सीमांकन उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत वनखण्ड की KML file अनुसार नहीं है जिसका परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्ताव में एरिया केलकुलेशन शीट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.6260 है0 है जबकि 1.63 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त में एकरूपता ली जानी प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-b(ii) में संलग्न KML file सेगमेंट वाइज संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-(iii) में संलग्न GT Sheet scale 1:50000 में नहीं है। प्रस्तावित सड़क के पूर्ण एलायमेंट में वन सीमा, चेनऐज का अंकन मय अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय शीर्षक एवं तालिका संलग्न होना प्रस्तावित है।
6. बिन्दु संख्या 7 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-(iii) में संलग्न DGPS map में प्रस्तावित सड़क का पूर्ण एलायमेंट जिसमें वन सीमा, चेनऐज एवं प्रस्तावित वन भूमि के सभी कानर्स के GPS Coordinates का अंकन किया गया हो, एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय शीर्षक एवं तालिका संलग्न होना प्रस्तावित है।
7. बिन्दु संख्या 8 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 1980 से पूर्व का ट्रेक होने का अवगत कराया गया है इस संबंध में उप वन संरक्षक द्वारा कोई विकल्प नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
8. बिन्दु संख्या 10 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि के GT Sheet (Scale 1:50000) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
9. संलग्न बार चार्ट में प्रस्तावित सड़क 0/440 से 1/790 वन क्षेत्र में पड़ना दर्शाया गया है जबकि वनाधिकार प्रमाण पत्र में 0/400 से 1/790 दर्शाया गया है उक्त भिन्नता को सुधारा जाना प्रस्तावित है।
10. प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों संलग्न नहीं है।
11. सड़क के क्रास सेक्शन 6.00 मीटर (एक अन्य प्रस्ताव में 7.5 मीटर रखा गया है।) किन नियमों के आधार पर रखा गया है।
12. जमाबंदी एवं राजस्व मेप पर अंकन संलग्न नहीं है।
13. एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट ग्रामवार/खसरावार/चेनऐजवार/सेगमेंट /लम्बाई चौड़ाई अनुसार दी जानी प्रस्तावित है।

14. गैर वन भूमि से संबंधित आबंटन आदेश ऑनलाईन नहीं किये गये हैं।
15. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 2 की पूर्ती नहीं की गई है।
16. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में कोई वृक्ष का पातन नहीं है एवं इको क्लास 2 अंकित है जबकि उस क्षेत्र का वन इको क्लास 3 में पड़ता है उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
17. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 की पूर्ती नहीं की गई है।
18. क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।
19. उप वन संरक्षक द्वारा गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
20. मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा ऑनलाईन पार्ट III संलग्न नहीं किया गया है।
21. प्रस्ताव में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि तीन हार्ड प्रति जिनमें एक मूल प्रति हो प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रतियों पर उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर नहीं हैं।

मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।


(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR